अपील सूचना अधिकार संख्या 57/2019 (RCMS 2019/00164) सुनील सोनी, कार्यालय भ्रष्टाचार विरोधी समाज कल्याण संस्था, मीरण ग्राम कीरण तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर <u>बनाम</u> लोक सूचना अधिकारी, एवं उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़

<u>31.12.2019</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुनील सोनी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलक्टर, अनूपगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी उपजिला कलक्टर, अनूपगढ से निःशुल्क सूचना दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री सुनील सोनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.05.2019 के द्वारा उप जिला कलक्टर(एस.डी.एम.), अनूपगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थीः

1. उप जिला कलक्टर (एस.डी.एम.) अनूपगढ़ के आदेश क्रमांक 2150 दिनांक 04.08.1998 की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी उप जिला कलक्टर, अनूपगढ से इस कार्यालय के पत्रांक 722/15.07.2019, 936/21.08.19, 1223/15.10.19 एवं 1460/27.11.19 का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं दिया है जबकि इस सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान हैः

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है, का जवाब प्रेषित नहीं किया है। जिबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को आदेश दिया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में 10 दिवस में निमयानुसार निर्णय किया जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर